



बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) का कार्यालय

क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना।

अति अल्पकालिन ई0-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :- 13/2023-24

(केवल -ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट WWW.eproc2.bihar.gov.in पर)

(प्रतिशत दर निविदा)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	बेल्ड्रॉन को देय प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यार्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतये रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	Fabrication , Supplying , Fitting and Fixing of different size of M.S gate with Hoisting Arrangement of Paliganj distributory at 3.30 (R) , 3.40 (R) , 4.60 (L) , 5.2 (L) , 5.5 (R) - 2 Nos , 5.9 , 6.3 (R) , 7.1 (R) - 3 Nos and 7.2 (R) Km of PMC	20.18	40360/-	5000/-	590/-	10 DAYS
2	Fabrication , Supplying , Fitting and Fixing of MS gate with hoisting arrangement and Railing of both side of Khagaul Lock ate & Dharachak at 125.58 & 13.0 Km of PMC	19.82	39650/-	5000/-	590/-	10 DAYS
3	Renovation , Fabrication , Erection , Teting , supplying and Commissioning of 4 Nos U/S Gate (2 Nos left U/S and 2 Nos Right U/S Each) of size 2200 X 2440 mm with Embedding , Hoisting Arrangement and painting and Civil work of 6 Nos , H/R Gate and 03 Nos C/R gate at Kulti Irrigation Scheme on Zirain River Dist Nalanda	23.56	47150/-	5000/-	590/-	10 DAYS

2. निविदा निर्गत करने की तिथि :- दिनांक- 15.02.2024
3. परिमाण विपत्र विक्री की तिथि :- दिनांक 27.02.2024 से 29.02.2024 तक।
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री-बीड मीटिंग का समय,स्थान एवं तिथि :- दिनांक 28.02.2024 को 2.00 बजे अपराह्न में, अधीक्षण अभियंता (यां0) सिंचाई यांत्रिक अंचल , मीठापुर, पटना के कार्यालय में।
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक 29.02.2024 को समय 3.00 बजे अपराह्न तक
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 01.03.2024 को समय 3.30 बजे अपराहन में (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड की स्वीकृति के बाद अलग से सूचना दी जायेगी (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा खोलने का स्थान :- (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
9. निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन
10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता (याँ०), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना।
11. ई०-टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाताओं को चतुर्थ श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अक्रिय हस्ताक्षर (DigitalSignature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
12. ई-निविदा मात्र (www.eproc2.bihar.gov.in) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
13. विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
14. (क) e-Tendering / e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु वीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online mode (e-Payment mode) यानि Internet Payment Gateway (Credit /Debit Card) , Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।
- (ख) e-Tendering / e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode(e-Payment mode) अथवा Physical Mode/ Manual Payment System में स्वीकार्य होगा । On line mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit /Debit Card) , Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical Mode/ Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि बैंक गारंटी जो वीड के मान्य अवधि के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक का हो, जो कार्यपालक अभियंता(याँ०), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना के पदनाम से निर्गत हो जिसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता(याँ०), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना / अधीक्षण अभियंता(याँ०), सिंचाई यंत्रिक अंचल, मीठापुर, पटना / मुख्य अभियंता(याँ०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक-01.03.2024 के 3.00 वजे अपराहन तक अवश्य जमा किया जाना है अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारंटी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के बीच निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा । ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा ।
- (ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the e-N.I.T. The department does not take any responsibility for the delay / non submission of tender / Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of internet connection, Network Traffic / Holidays or any other reason " .
- (घ) " BSEDC Processing Fee and Tender document fee/ BOQ fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through Online or Offline mode ."
15. Tenderer can access Tender documents on the above mentioned website , fill them and submit the completed tender documents as Electronic tender on the website itself only. Bidders / Tenderer shall attach scanned copies of all papers, i.e. Earnest Money and the certificates as required in Eligibility criteria.
16. Corrigendum / Addendum / Corrections, If any will be published on the website only .The undersigned reserve the right to cancel the bid without any prior




- information or assigning any reason .
17. The Tenderer should listed up serial No. of scanned documents before uploading , so that the particular document may be located soon on the basis of Serial No/ Page No. All documents must be uploaded PDF, M.S.Office(Compatibility Mode) , JPEG, ZIP format Claims will not be entertained if uploaded documents were not able to download / open the other format.
 18. The Tenderer should fully satisfy of Download ability / Visibility of scanned uploaded documents.
 19. No claims shall be entertained on account of disruption of internet service being used by tenderers . Tenderers are advised to uploaded their bids well in advance to avoid last minute technical snags.
 20. In the unlikely event of the server for www.erproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours in the period from 12.00 O'clock (night) to closing time of receipt of contractor on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall automatically be extended to next working day till the last receiving time stipulated in the original e-N.I.T.
 21. निविदादाता को सदृश्य यॉत्रिक कार्यो के लिए लघु उद्योग ईकाई (S.S.I.) / उद्योग उध्यम में निबंधित होना आवश्यक होगा । निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
 22. निविदादाता को तृतीय श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।
 23. कार्य की प्राक्कलित राशि घट-वढ सकती है अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा ।
 24. निविदादाताओं को फ़ैक्ट्री लाईसेंस , जो फर्म या फर्म के मालिक के नाम से हो , निविदा के साथ में संलग्न करना होगा ।
 25. निविदा के साथ निविदादाताओं की यॉत्रिक कार्य संपादन हेतु कार्यपालक अभियंता(यॉत्रिक)/ अधीक्षण अभियंता(यॉ0)/मुख्य अभियंता(यॉ0),जल संसाधन विभाग ,बिहार,पटना द्वारा निर्गत कर्मशाला का प्रमाण पत्र , स्थान उपलब्ध मषीनों एवं तकनीकी कर्मियों की सूची संलग्न करना होगा । कर्मशाला प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा ।
 26. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
" I the undersigned do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake / forged , the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as blacklisting."
 27. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी ।
 28. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा , अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
 29. संवेदक/ ऐजेन्सी के विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती की जायेगी, जिनका अंतिम भुगतान संबंधित असैनिक प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का संपुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा ।
 30. निविदा निष्पादन के दौरान वैसे निविदादाताओं को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा, जिसके विरुद्ध विभाग में कालीकरण की कार्यवाही चल रही हो अथवा कार्य कलाप संदेहास्पद हो ।
 31. विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के मूल्य की कटौती संवेदक के विपत्र से प्राक्कलित राशि /निविदित राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य में से जो अधिक होगा, वह राशि की जायेगी ।
 32. कार्य का एकरारनामा एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर किया जायेगा ।
 33. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लें । एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे ।
 34. कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा एवं कार्य करने के पश्चात पुराने लौह सामग्रियों को उचित प्राप्ति रसीद लेकर विभागीय

Signature

(प्रमंडल के अधीन) भंडार में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।

35. जी0 एस0 टी0, आयकर एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
36. श्रम कल्याण निधि मद में 1 (एक) प्रतिशत दर की कटौती की जायेगी।
37. लौह सामग्रियों ख्याति प्राप्त निर्माता यथा(SAIL/TATA/RINL/SHYAM STEEL INDUSTRIES LTD.) कम्पनी/प्राधिकृत विक्रेता से क्रय कर उपयोग करना होगा। लौह सामग्रियों के क्रय का रसीद एवं टेस्ट रिपोर्ट समर्पित करना अनिवार्य होगा।
38. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
39. निधि उपलब्ध होने के पश्चात ही कार्य का भुगतान होगा।
40. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल (Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा) समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
41. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।
42. पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं0 447 (S) एवं 448 (S) के आलोक में परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर करने वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee एकरारनामा के समय जमा करना होगा।
43. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक वारंटी के अन्दर करना होगा तथा किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मत कर पुनः क्रियाशील करना अनिवार्य होगा।
44. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 29 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न अनिवार्य होगा।
45. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।


(ई0 विधाशंकर वर्मा)
कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)
क्षेत्र यन्त्र प्रमण्डल, दीघा, पटना।
मै0 नु0 7903550446
